संसदीय सरिता

भारत सरकार

संसदीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली

दिसंबर 2011

वास्तविक लोकतंत्र के लिए, किसी को केवल संविधान के उपबंधों, अथवा विधानमंडलों में कार्य संचालन के लिए बनाए गए नियमों और विनियमों को देखने की जरूरत नहीं है, अपितु उसे उन लोगों में सच्ची लोकतांत्रिक भावना पोषित करनी होगी जो विधानमंडल को आकार देते हैं। यदि यह मूल सिध्दांत मस्तिष्क में पैठ बना लेता है तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि यद्यपि प्रश्नों का बहुसंख्यकों द्वारा निर्णय लिया जाएगा, परंतु संसदीय सरकार संभव नहीं होगी अगर इसे मात्र सिरों अथवा हाथों की गिनती तक सीमित कर दिया जाता है। यदि हम केवल बहुसंख्यकों को मान कर चलते हैं तो हम फासीवाद, हिंसा और विद्रोह के बीजों को पोषित करेंगे। दूसरी ओर, यदि हम सहनशीलता की भावना, चर्चा की स्वच्छंदता की भावना और समझदारी की भावना को पोषित करने में सहायता करते हैं तो हम लोकतंत्र की भावना को बढ़ावा देते हैं।

---जी.वी. मावलंकर

संसदीय कार्य एवं
जल संसाधन मंत्री

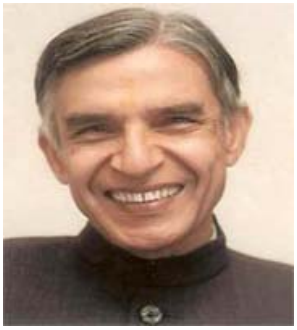

पवन कुमार बंसल

दिसंबर, 2011

संदेश

संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा संसद के दोनों सदनों के बीच समन्वय करने का कार्य करने के नाते भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। इस प्रकार इस मंत्रालय के कार्य और गतिविधियां भी अत्यंत आवश्यक हैं। मंत्रालय द्वारा हिन्दी को बढ़ावा देने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है, इसलिए यहां के अधिकारी/कर्मचारी प्रशंसा के पात्र है। यह अत्यधिक हर्ष की बात है कि अब इस मंत्रालय द्वारा एक पत्रिका का अंक निकाला जा रहा है।

मैं आशा करता हूं कि सभी अधिकारी और कर्मचारी पत्रिका के इस अंक में प्रस्तुत लेखों से लाभान्वित होंगे। इसके लिए मेरी ओर से आपको शुभकामनाएं। साथ ही मैं यह आशा भी करता हूं कि इसमें दी गई जानकारी मंत्रालय के अतिरिक्त अन्य पाठकों के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगी ।

(पवन कुमार बंसल)

विषय सूची

क्रम संख्या	मद	पृष्ठ संख्या
1.	संसदीय कार्य मंत्रालय को आबंटित कार्य	1-2
2.	संसदीय कार्य मंत्रालय में हिंदी पखवाड़े का आयोजन	3-8
3.	युवा संसद योजना	9-14
4.	कविता --- शब्दों की भाषा - सुश्री मृगनयनी पाण्डेय	15
5.	नई कविता की विशेषताएं - लेखक: श्री विजयन तंपी	16-21

संसदीय कार्य मंत्रालय को आबंटित कार्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए भारत सरकार के (कार्य का आबंटन) नियम, 1961के अधीन मंत्रालय को सौंपे गए कार्य:-

(1) संसद की दोनों सभाओं को बुलाने और उनका सत्रावसान करने की तिथियां,लोक सभा का विघटन, संसद के समक्ष राष्ट्रपति का अभिभाषण;

(2) दोनों सभाओं में विधायी और अन्य सरकारी कार्य आयोजन तथा समन्वय;

(3) सदस्यों द्वारा सूचित किए गए प्रस्तावों पर चर्चा के लिए संसद में सरकारी समय का नियतन;

(4) संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन दलों और ग्रुपों के नेताओं और सचेतकों के साथ सम्पर्क;

(5) विधेयकों संबंधी प्रवर और संयुक्त समितियों के सदस्यों की सूचियां;

(6) सरकार द्वारा गठित समितियों और अन्य निकायों पर संसद सदस्यों की नियुक्ति;

(7) विभिन्न मंत्रालयों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समितियों का कार्यचालन;

(8) संसद में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों का कार्यान्वयन;

(9) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार का रूख;

(10) संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल की समिति को सचिवालयिकसहायता;

(11) प्रक्रिया और अन्य संसदीय मामलों में मंत्रालयों को सलाह;

(12) संसदीय समितियों द्वारा की गई सामान्य रूप में लागू होने वाली सिफारिशों पर मंत्रालयों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का समन्वय;

(13) रोचक स्थानों के सरकार द्वारा प्रायोजित संसद सदस्यों के दौरे;

(14) संसद सदस्यों के स्वत्वों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों संबंधी मामले;

(15) संसदीय सचिव-कार्य;

(16) सम्पूर्ण देश में विद्यालयों/कालेजों में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन;

(17) अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन का आयोजन;

(18) संसद सदस्यों के सरकार द्वारा प्रायोजित शिष्टमंडलों का दूसरे देशों के साथ आदान-प्रदान;

(19) लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियम के नियम 377 के अधीन तथा सभा में विशेष उल्लेखों के माध्यम से उठाए जाने वाले मामलों के संबंध में नीति का अवधारण और अनुवर्ती कार्रवाई;

(20) मंत्रालयों/विभागों में संसदीय कार्य करने संबंधी निदेशिका ।

(21) संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953,(1953 का 20);

(22) संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954,(1954 का 30);

(23) संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977,(1977 का 33);

(24) संसद में मान्यताप्राप्त दलों और ग्रुपों के नेता और मुख्य सेचतक (सुविधाएं) अधिनियम, 1998 (1999 का 5)

संसदीय कार्य मंत्रालय में हिंदी पखवाड़े का आयोजन

.....

संसदीय कार्य मंत्रालय में 1 से 15 सितम्बर, 2011 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। हिंदी पखवाड़े के उद्घाटन पर 1 सितंबर, 2011 को संयुक्त सचिव की ओर से हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करने के लिए अपील परिचालित की गई। पखवाड़े के दौरान 1 से 12 सितंबर, 2011 तक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 11 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें कर्मचारियों ने काफी संख्या में भाग लिया। 14 सितंबर, 2011 अर्थात हिंदी दिवस के दिन माननीय गृह मंत्री का संदेश भी सभी अधिकारियों/कर्मचारियों में परिचालित किया गया। पखवाड़े का मुख्य समारोह 22 सितंबर, 2011 को आयोजित किया गया जिसमें मंत्रालय के सभी अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। समारोह में निदेशक ने मंत्रालय के सभी कर्मचारियों को हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करने का संकल्प कराया। इसके बाद पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के पुरस्कार विजेताओं को सचिव द्वारा पुरस्कार वितरित किए गए।

हिंदी पखवाड़े के मुख्य समारोह के आयोजन के दौरान सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय एवं संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय तथा अन्य अधिकारीगण राजभाषा संकल्प लेते हुए।

पखवाड़े के दौरान निम्नलिखित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया:-

1. मूल रूप से हिंदी में टिप्पण-आलेखन नकद पुरस्कार योजना 2010-2011
2. हिंदी में टिप्पण-आलेखन आशु प्रतियोगिता।
3. हिंदी टंकण प्रतियोगिता ।
4. गैर हिंदी भाषी कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता।
5. हिंदी में वाद-विवाद प्रतियोगिता ।
6. हिंदी में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता ।

7. हिंदी में अंताक्षरी प्रतियोगिता- इसमें हिंदी के मुहावरे/लोकोक्ति, दोहे आदि का प्रयोग किया गया।
8. अपना समस्त सरकारी कार्य हिंदी में करने वाले कर्मचारियों के लिए पुरस्कार योजना ।

हिंदी पखवाड़े के मुख्य समारोह के अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतियोगियों को सचिव द्वारा निम्नलिखित पुरस्कार दिए गए:-

<u>हिंदी टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता</u>

प्रतिभागियों के नाम	**प्राप्त स्थान**	**पुरस्कार राशि (रू. में)**
1. श्री अनिल कुमार, अनुभाग अधिकारी	पहला	1000/-
2. श्री प्रद्योत बेपारी, सहायक	दूसरा	700/-
3. श्री पी.सी. झा, वैयक्तिक सहायक	तीसरा	500/-
4. श्री बीरेंद्र कुमार, प्रवर श्रेणी लिपिक	चौथा	100/ (सांत्वना)

<u>हिंदी टंकण प्रतियोगिता</u>

प्रतिभागियों के नाम	**प्राप्त स्थान**	**पुरस्कार राशि (रू. में)**
1. श्री सुनील कुमार जैन, सहायक	पहला	700/-
2. श्री यशपाल, प्रवर श्रेणी लिपिक	दूसरा	500/-
3. श्री बिंदा रावत, प्र.श्रे.लि.	तीसरा	300/-
4. श्री जे.पी.पी. कुजूर, प्र.श्रे.लि.	तीसरा	300/-
5. श्री अविनाश कुमार, प्र.श्रे.लि.	चौथा	100/- (सांत्वना)

<u>गैर हिन्दी भाषी कर्मचारियों के लिए प्रतियोगिता</u>

प्रतिभागियों के नाम	प्राप्त स्थान	पुरस्कार राशि (रू. में)
1. श्री ए.बी. आचार्य, अनुभाग अधिकारी	पहला	700/-
2. श्री प्रद्योत बेपारी, सहायक	पहला	700/-
3. श्री जे.एन. नायक, वैयक्तिक सहायक	दूसरा	500/-

<u>हिन्दी में वाद-विवाद प्रतियोगिता</u>

प्रतिभागियों के नाम	प्राप्त स्थान	पुरस्कार राशि (रू. में)
1. श्री प्रकाश चंद्र झा, वैयक्तिक सहायक	पहला	700/-
2. श्री अनिल कुमार, अनुभाग अधिकारी	दूसरा	500/-
3. श्री प्रद्योत बेपारी, सहायक	तीसरा	300/-
4. श्री सुनील कुमार जैन, सहायक	चौथा	100/- (सांत्वना)

<u>हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता</u>

प्रतिभागियों के नाम	प्राप्त स्थान	पुरस्कार राशि (रू. में)
1. श्री प्रद्योत बेपारी, सहायक	पहला	700/-
2. श्री अनिल कुमार, अनुभाग अधिकारी	दूसरा	500/-
3. श्री सुनील कुमार जैन, सहायक	तीसरा	300/-
4. श्री जे.पी.पी. कुजूर, प्रवर श्रेणी लिपिक	तीसरा	300/-
5. श्री पी.सी. झा, वैयक्तिक सहायक	चौथा	100/-(सांत्वना)
6. श्री बीरेंद्र कुमार, प्रवर श्रेणी लिपिक	चौथा	100/-(सांत्वना)

हिंदी अंताक्षरी प्रतियोगिता

प्रतिभागियों के नाम	प्राप्त स्थान	पुरस्कार राशि (रू. में)
1. श्री पी.सी. झा, वैयक्तिक सहायक	पहला	700/-
2. कु. मृगनयनी पाण्डेय, वरिष्ठ अनुवादक	दूसरा	500/-
3. श्री अनिल कुमार, अनुभाग अधिकारी	तीसरा	300/-
4. श्री हरमन लाकड़ा, सहायक	चौथा	100/-(सांत्वना)
5. श्री सुनील कुमार जैन, सहायक	चौथा	100/-(सांत्वना)

वर्ष 2010-12 के लिए हिंदी में मूल टिप्पण आलेखन प्रतियोगिता

प्रतिभागियों के नाम	प्राप्त स्थान	पुरस्कार राशि (रू. में)
1. श्री प्रद्योत बेपारी, सहायक	पहला	1000/-
2. श्रीमती बिलासी टोप्पो, सहायक	दूसरा	600/-
3. श्री साधु राम, अवर श्रेणी लिपिक	दूसरा	600/-
4. श्री अमर देव, सहायक	दूसरा	600/-
5. श्रीमती लियोलीना लाकड़ा, प्र.श्रे.लि.	तीसरा	300/-
6. श्री हेरमन लाकड़ा, सहायक	तीसरा	300/-
7. श्री यशपाल, प्रवर श्रेणी लिपिक	तीसरा	300/-
8. श्री गौरी शंकर, सहायक	तीसरा	300/-
9. श्रीमती सरला भूटानी, सहायक	तीसरा	300/-

<u>वर्ष के दौरान अपना समस्त कार्य हिंदी मे करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रतियोगिता</u>

प्रतिभागियों के नाम	**पुरस्कार राशि (रू. में)**
1. श्री प्रद्योत बेपारी, सहायक	1000/-
2. श्री साधु राम, अवर श्रेणी लिपिक	1000/-
3. श्री ब्रज मोहन कुमार, प्र.श्रे.लि.	1000/-
4. श्री हेरमन लाकड़ा, सहायक	1000/-
5. श्री यशपाल, प्रवर श्रेणी लिपिक	1000/-
6. श्री गौरी शंकर, सहायक	1000/-
7. श्रीमती सरला भूटानी, सहायक	1000/-

हिंदी पखवाड़े के मुख्य समारोह के आयोजन के दौरान एस.चंद्रशेखरन, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा पुरस्कार लेने के पश्चात उनसे हाथ मिलाते हुए श्री ए.बी. आचार्य, अनुभाग अधिकारी

युवा संसद योजना

भारत एक संसदीय लोकतंत्र है। यह व्यवस्था हमारे देश के लिए नई नहीं है लेकिन इसका लाभ उठाने के लिए हमारी जनता और इसके प्रतिनिधियों के संगठित प्रयासों और संकल्प की आवश्यकता है। इस व्यवस्था को लोगों का ज्ञान, जागरूकता, सक्षमता, विश्वास और उत्तरदायित्व मजबूती प्रदान करता है। इसकी काफी जिम्मेदारी युवा पीढ़ी के कंधों पर है। युवा संसद (पहले कृत्रिम संसद कहलाती थी) 1962 में आयोजित चौथे अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन (ए आई डबल्यू सी) के दिमाग की उपज थी। शैक्षणिक संस्थानों में और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत के माध्यम से युवा संसद के आयोजन के लिए ए आई डबल्यू सी की सिफारिश वास्तव में 1966-67 में अस्तित्व में आई। प्रजातंत्र की जड़ों को मजबूत करने, अनुशासन की स्वस्थ आदतों को डालने, अन्य लोगों के विचारों के प्रति सहनशीलता और विद्यार्थी समुदाय को संसद के कार्यचालन के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय देश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन करता है। दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, केन्द्रीय विद्यालयों (केवि), जवाहर नवोदय विद्यालयों (जेएनवी) और विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए चार अलग-अलग योजनाएं हैं। जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना भी आरंभ की गई।

2. युवा संसद योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल युवा संसद के आयोजन के लिए प्रक्रिया नियमों की जानकारी देना; अथवा प्रतियोगिताएं आयोजित करना नहीं है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को सांसद बनाना; अथवा वास्तविक सांसदों की नकल उतारना नहीं है। इसकी संकल्पना सहनशीलता, अनुशासन जैसी प्रजातांत्रिक आदतों को डालने, विविध विचारों के लिए सम्मान, और अन्य सभ्य सामाजिक व्यवहार के निर्धारक तत्वों के मद्देनजर की गई थी। अत: युवा संसद योजना का अंतिम लक्ष्य विद्यार्थी समुदाय के माध्यम से समाज के बड़े वर्ग में संसदीय लोकतंत्र की सुगंध का विस्तार करना है। यह संतोषजनक बात है कि विद्यार्थी समुदाय से इस योजना को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है।

3. युवा संसद योजना के उद्देश्य अनेक हैं। इनका प्रयत्न है कि हमारे संसदीय संस्थानों के कार्यचालन के बारे में जानकारी प्रदान करें और युवा संसदों में दर्शाए गए विचारों का प्रचार करें। समाज या देश के समक्ष पेश आ रही परेशानियों, मुद्दों और कठिनाइयों के बारे में जागरूकता पैदा करें, तार्किक निर्णयों पर पहुंचे और संभव समाधानों के बारे में विचार करें।

4. शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के सहयोग से वर्ष 1966 से युवा संसद प्रतियोगिताएं दिल्ली के विद्यालयों में लगातार प्रतिवर्ष आयोजित की जा रही हैं। 45वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2010-2011 के दौरान शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा प्रायोजित विद्यालयों के लिए पहली बार योग्यता के आधार पर 4 उत्कृष्ट विद्यालयों के प्रदर्शन को लोक सभा टेलीविजन

द्वारा रिकार्ड किया गया और उसका 3, 4, 5 और 6 दिसंबर, 2010 को प्रसारण किया गया। अब तक 46 प्रतियोगिताएं आयोजित हो चुकी हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की 46वीं युवा संसद प्रतियोगिता का कार्य प्रगति पर है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के विद्यालयों की 45वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2010-2011 के पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर पुरस्कार विजेता विद्यालय के विद्यार्थी एवं अध्यापक प्रसन्न मुद्रा में ।

5. 1978 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में चल रही युवा संसद प्रतियोगिता में दिल्ली और आस-पास स्थित केन्द्रीय विद्यालयों को भी शामिल कर लिया गया और 1983 में भाग लेने वाले विद्यालयों की बढ़ती संख्या के कारण दिल्ली के विद्यालयों की योजना की तरह

दिल्ली और उसके आस-पास के केन्द्रीय विद्यालयों के लिए अलग से एक योजना प्रारंभ की गई। पंडित जवाहर लाल नेहरू जन्म शताब्दी और भारत की स्वतंत्रता की 40वीं वर्षगांठ के समारोह के एक भाग के रूप में 1988 में युवा संसद योजना को केन्द्रीय विद्यालयों में राष्ट्रीय स्तर पर आरंभ किया गया। अब तक देशभर के केन्द्रीय विद्यालयों में 23 राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित हो चुकी हैं। 24 वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2010-11 में सी.आर.पी.एफ., भुवनेश्वर प्रथम स्थान पर रहा।

केन्द्रीय विद्यालयों के लिए 23वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के दिनांक 13.01.11को आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर अध्यक्षीय भाषण देते हुए तत्कालीन संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री वी. नारायणसामी।

6. भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती समारोह के एक भाग के रूप में, केन्द्रीय विद्यालयों के नमूने पर वर्ष 1997 में राष्ट्रीय स्तर पर

जवाहर नवोदय विद्यालयों में युवा संसद योजना को प्रारंभ किया गया।

केन्द्रीय विद्यालयों के समान ही जवाहर नवोदय विद्यालयों में भी यह प्रतियोगिता दो स्तरों पर आयोजित की जाती है, पहली क्षेत्रीय स्तर पर दूसरी राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त करने वाले जवाहर नवोदय विद्यालयों के बीच। अब तक 14 प्रतियोगिताएं आयोजित हो चुकीं हैं और 15वीं का कार्य प्रगति पर है। 14वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2010-11 में जवाहर नवोदय विद्यालय, मैसूर प्रथम स्थान पर रहा।

जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 14वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के दिनांक 22.7.11 को आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर अध्यक्षीय भाषण देते हुए संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री हरीष रावत।

7. भारत की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह के एक भाग के रूप में इस मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय विश्वविद्यालय संघ के सहयोग से वर्ष 1997-98 के दौरान पूरे देश के विश्वविद्यालयों/कालेजों में भी युवा संसद योजना को आरंभ किया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी विश्वविद्यालयों को ग्रुप में बांटा जाता है और पहले संबंधित ग्रुपों के विश्वविद्यालयों में ग्रुप स्तर की प्रतियोगिता आयोजित होती है और फिर दूसरे स्तर में ग्रुप स्तर की प्रतियोगिता में प्रथम आने वाले विश्वविद्यालयों के बीच राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित होती है। अब तक 10 प्रतियोगिताएं आयोजित हो चुकी हैं। दसवीं प्रतियोगिता में डी ए वी कॉलेज, जालंधर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।

विश्वविद्यालयों के लिए 9वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के दिनांक 8.8.10 को आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर तत्कालीन संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री पृथ्वीराज चव्हाण युवा संसद का संबोधित करते हुए।

शब्दों की भाषा

अगर कुछ है अनकहा
मन में तुम्हारे
कभी उसको शब्दों की
सूरत न देना ।

शब्द बदल जाते हैं
होठों तक आते आते
खो देते हैं अपनी पहचान
और बदल लेते हैं स्वरूप ।

शब्द चुभ जाते हैं अक्सर
पैने तीरों के जैसे
और दे जाते हैं घाव
कभी न भरने वाले ।

शब्द करते हैं काम
कभी औषधि का भी
और देते हैं सुकून
किसी मरहम के जैसे।

शब्दों का सम्मोहन
भ्रामक होता है अक्सर
कभी दिखता है सपनों के शहर सा
और कभी लगता है वीराने सा ।

इसीलिए कहती हूं
शब्दों को अपने मन में ही रखना
शब्द छल जाते हैं
किसी प्रवंचक जैसे।

सुश्री मृगनयनी पाण्डेय,
वरिष्ठ अनुवादक,
संसदीय कार्य मंत्रालय

नई कविता की विशेषताएं

- **विजयन तम्पी**

प्रपद्यवाद और प्रयोगवाद के पश्चात काव्यधाराओं में नई कविता का प्रवर्तन एक महत्वपूर्ण काव्यधारा के रूप में हुआ। आलोचकों का एक वर्ग इसे प्रयोगवादी काव्यधारा के अंतर्गत स्वीकार करता है और दूसरा वर्ग प्रयोगवाद से भिन्न काव्यधारा के रूप में। प्रयोगवादी कवियों से अलग एक कवि वर्ग ने स्वतंत्र परिवेश में जिन कविताओं का सर्जन किया, वे ही नई कविता के नाम से अभिहित हुई। नई कविता के स्वरों की अनुगूँज 1950 ई. में सुनाई पड़ती है।

'नई कविता' नामकरण के पीछे 'छायावाद' अथवा प्रयोगवाद आदि नामों की भाँति परिहास की भावना अथवा निश्चित योजना नहीं थी, यद्यपि कविता के साथ प्रयुक्त 'नई' विशेषण ने बहुतों को चौंकाया भी। इसका प्रतिवाद भी हुआ और जिस प्रकार प्रयोगवाद के संबंध में यह कहा गया था कि प्रयोग हर काल के कवियों ने किये हैं, ठीक वैसे ही 'नई' विशेषण को लेकर भी यह कहा गया कि प्रत्येक युग की कविता अपने युग में नई होती है, वह नाम के अभाव में नहीं मरती। अस्तु, छायावाद तथा प्रयोगवाद की भाँति, बहुत विरोध के बावजूद नई कविता नाम चल पड़ा और आज वही सर्वमान्य है। जहाँ तक नई कविता के नामकरण का प्रश्न है – नई कविता नाम शायद 1953 ई. में 'नये पत्ते' में प्रकाशित रेडियो परिसंवाद में पहले-पहले अज्ञेय द्वारा किया गया था।

जिस प्रकार प्रयोगवाद के स्वरूप, स्पष्टीकरण और विकास की दिशा में 'प्रतीक', 'पाटल', 'दृष्टिकोण' आदि पत्रिकाओं का योगदान रहा है, वैसे ही कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाओं ने नई कविता के स्वरूप, स्पष्टीकरण और विकास की दिशा में भी योगदान दिया। इस दिशा में 1950 से 1952 ई. तक दिल्ली से प्रकाशित मासिक प्रतीक तथा रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा संपादित नए पत्ते ने प्रारंभिक भूमिका निबाही। इसके बाद शुरू में डॉ. जगदीश गुप्त तथा रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा और बाद में विजय नारायण साही के सहयोग से संपादित नई कविता 1954 ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस पत्रिका ने नए कवियों की रचनाएं प्रकाशित करने के अतिरिक्त नई

कविता की प्रवृत्तियों के स्पष्टीकरण के लिए सैद्धांतिक पीठिका भी प्रस्तुत की। नई कविता के ही प्रकाशन 'साहित्य सहयोग' के तत्वावधान में धर्मवीर भारती और लक्ष्मीकांत वर्मा ने 'निकष' का संपादन करके नई कविता को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया। अन्य पत्रिकाओं में लखनऊ से प्रकाशित होने वाली 'ज्ञानोदय' के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

'नई कविता' के प्रमुख हस्ताक्षर हैं – अज्ञेय, मुक्तिबोध, नेमिचंद, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेद बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजयदेव नारायण साही, सर्वेश्वरदयाल सक्सेना, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, राजेंद्रप्रसाद सिंह, नंद चतुर्वेदी, कीर्तिनाथ मिश्र, आनन्दनारायण शर्मा, प्रभाकर मिश्र, वचन देव कुमार, जयगोविन्द सहाय, मधुकर सिंह, सत्यदेव शाँतिप्रिय, गोपाल कृष्ण कौल, बजरंग सिंह, सिद्धनाथ कुमार, दुष्यंत कुमार, परमानन्द श्रीवास्तव, रमानाथ अवस्थी, वीरेन्द्र मिश्र, रामावतार त्यागी, जगतप्रकाश चतुर्वेदी इत्यादि।

'नई कविता' अपने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में पचासोत्तरी आधुनिक कविता है। इस आधुनिकता में कई दार्शनिक, वैज्ञानिक तथा सामाजिक उपलब्धियाँ तथा उनके सभी अच्छे और बुरे प्रभाव सन्निहित हैं। आधुनिकता से गुजरकर ही आधुनिक वाद के रूप में नई कविता कुछ दे सकी है। आधुनिक वाद से अभिप्राय उस आधुनिक मूल्य-चेतना से हैं, जो मानवतावादी है, परंपरा में कतई अविश्वास नहीं रखती और स्वयं को विज्ञान प्रेरित दर्शनों तक संकुचित नहीं होने देती। संक्षेप में, नई कविता की अनुभूति मूलक तथा अभिव्यक्ति मूलक प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं।

1. सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति:

पूँजीवादी व्यवस्था के प्रति असंतोष होने के कारण नए कवियों ने सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति पर विशेष बल दिया है।

2. यौन कुंठाओं और यौन वर्जनाओं का चित्रण-

नई कविता में अपने युग के जीवन की प्रतिक्रिया के रूप में पीडा, निराशा, विषाद, अनास्था, घुटन, कुंठा आदि चित्रण अधिक मात्रा में हुआ है, इन में भी यौन कुंठाओं एवं वर्जनाओं को सर्वाधिक अभिव्यक्ति मिली है-

हम लोगों का एक मात्र श्रम है- सुरतिश्रम

इस अन्त्यज का एक मात्र सुख है- मैथुन सुख

3. व्यक्तिवादी प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति-

नई कविता में व्यक्तिवादी अनुभूति पर ही अधिकांश कवियों की उलझी हुई संवेदनाएं अभिव्यक्ति हुई हैं। इसीलिए इन कविताओं में आत्म रति, आत्मोन्मीलन, आत्मसंघर्ष, अपनी ही निराशा, मनोभग्नता एवं सूक्ष्म अंतरानुभूति अपने निजी व्यक्तित्व का विघटन आदि को अधिक स्थान मिला है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि इन कविताओं में उस व्यक्ति-चेतना और वर्ग चेतना के संघर्ष को अधिक चित्रित किया गया है, जो सामाजिक रूढियों में स्थिति परिवर्तन के साथ साथ कोई परिवत्रन या विकास न देखने के कारण आज के नए कवि के अंतकरण को आक्रोश, खीझ, घुटन, कुंठा, यौन वर्जनाओं आदि से भर देता है।

4. प्रेम का चित्रण

नई कविता में प्रेम का भी चित्रण हुआ है, किंतु संयोग की अपेक्षा वियोग वेदना के अधिक गीत गाए गए हैं। इस प्रेम को एक ऐसा थका-माँदा पक्षी माना गया है, जो साँझ घिरती देखकर एक और तो आशंका से घिरा हुआ है, किंतु विश्वास की निष्कंप अवस्था मेकं कुछ नीचे ही है और उसमें वासना एवं विवेक की धूप-छाँह स्पष्ट दिखाई देती है। नए कवियों ने प्रणय के मांसल उपभोग का उन्मुक्त एवं निर्ब्याज चित्रण किया है। कहीं-कहीं यौन चित्रण अत्यधिक नग्नता के कारण भदेस की सीमा तक का स्पर्श करता है।

5. परित्यक्त और वर्जित विषयों का अंकन

नई कविता में प्रकृति, नारी, कामवासना आदि का चित्रण में भी कवियों की 'अहं' और 'दंभ' की प्रवृति का प्राधान्य ही दिखाई देता है। वे प्राय: उन परित्यक्त एवं वर्जित विषयों के प्रति अधिक प्रवृत्त हुए हैं, जिन पर अभी तक हिंदी के कवि कुछ लिखना अनुचित एवं अनुपयोगी समझते थे। अज्ञेय ने अपनी "शिशिर की राका निशा" कविता में अन्य सभी का चित्रण करते हुए गदहा और वन्यबिलार का भी वर्णन किया है।

6. शास्त्रीय मान्यताओं के प्रति अनास्था

नई कविता में किसी भी शास्त्रीय मान्यता के प्रति कोई आस्था नहीं दिखाई देती। इसलिए सभी नए कवि व्यास और समास दोनों प्रकार की शैलियाँ अपनाते हुए भाषा के नूतन-नूतन प्रयोगों की ओर अग्रसर हुए हैं। पुरानी परंपरा को निष्क्रिय एवं पुरानी उपलब्धियों को निरर्थक मानकर अभिव्यक्तिगत नूतन चमत्कार तथा शब्दों के विच्छित्तिपूर्ण नूतन प्रयोगों को सर्वाधिक महत्व दिया गया है, अभिव्यक्ति के लिए नूतन-नूतन प्रतीकों एवं नूतन-नूतन उपमानों को अपनाया गया है।

7. शिल्पगत नवीनता

शिल्पगत तत्वों में भाषा, बिंब, प्रतीक, छंद, लय, तुक, अलंकार आदि को गिना जाता है। प्रत्येक कवि को अपने अनुभूत सत्य की अभिव्यंजना में सर्वप्रथम भाषा की आवश्यकता महसूस होती है। प्रत्येक संवेदनशील रचनाकार भाषा से संघर्ष और असंतोष का अनुभव गहरे स्तरों पर करता है। यह संघर्ष और असंतोष वस्तुतः उसका अपने-आप से है क्योंकि भाषा उसके संपृक्त व्यक्तित्व का अनिवार्य और अविभाज्य अंग है।

(क) भाषा:- नए कवियों ने अप्रचलित शब्दों के प्रति मोह बना रहता है। नई कविता के अनुयायी सभी कवि प्राचीन भाषा तथा प्राचीन अप्रस्तुत योजना को पुरखों की वैभव-भोगमयी कलुषित वाणी मानते चले आए हैं और पुराने शब्द जाल को खोखला और शून्य बताते हैं। इसलिए, उनके स्थान पर नई भाषा, नए शब्द, नई बिंब योजना एवं नइ्र अप्रस्तुत योजना को सभी ने महत्व देने का प्रयास किया है। नई कविता में प्रायः कुछ गुढ, कुछ अलौकिक एवं कुछ अस्पष्ट भाषा का प्रयोग हुआ है।

(ख) बिंब:- कवि द्वारा सन्दर्भगत अनुभूतियों के अंकन में जब संदर्भों का मूर्तीकरण किया जाता है, उसकी भाषा बिंबात्मक रूप धारण करती है। संदर्भों के बिंब उभारने के लिए सादृश्य संदर्भों की योजना की अपेक्षा रहती है। बिंब की सार्थकता भाव के सही प्रकाशन, वस्तु के प्रभावपूर्ण उद्घाटन तथा उसके साथ अपना पूर्ण सामंजस्य स्थापित कर लेने में है।

अज्ञेय ने विशिष्ट रूप-व्यापारों को एक खास तीखापन देने के लिए चुने हुए विशेषणों के प्रयोगों द्वारा नए प्रकार का बिंबाकन किया है। धर्मवीर भारती का बिंब-विधान अपेक्षाकृत

अधिक पौराणिक और सशक्त बन पड़ा है। मुक्तिबोध को फैण्टेसी का कवि माना जाता है और उनकी फैण्टेसी बिंबों से ओतप्रोत है।

'नई कविता' में प्रयुक्त बिंब की यह विशेषता रही है कि ये नए बिंब समसामयिक परिवेश से ही ग्रहण किए गये हैं।

(ग) प्रतीक:- नए बिंबों के समान ही नए कवियों ने नये-नये प्रतीक अपनाएं हैं। प्रतीक अर्थ की सार्थक व्यंजना में सहायक होते हैं इसीलिए इनका प्रयोग किया जाता है। काल-प्रवाह में पुराने प्रतीक जब अपनी सार्थकता खो बैठते हैं, तब नवयुक के नए कवि नए-नए प्रतीक गढने लगते हैं। अप्रस्तुत को सर्व संवेद्य बनाने में ही प्रतीकों की सार्थकता मानी जाती है। यदि प्रयुक्त प्रतीक उस अप्रस्तुत के रूप को स्पष्ट करने में असमर्थ रहता है, तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती। नये कवियों ने इस सत्य को पहचानकर अनर्गल-असंवेद्य प्रतीकों का मोह त्याग ऐसे प्रतीकों का प्रयोग करना प्रारंभ किया, जो सहज संवेद्य बनने में समथ्र थे। मुक्तक ककिताओं में तो नए प्रतीकों का प्रयोग हुआ है, कुछ लंबी कविताएं और प्रबंध काव्य पूरे-के पूरे प्रतीक रूप में लिख गए। जैसे-धर्मवीर भारती का 'अंधायुग' तथा 'कनुप्रिया' अज्ञेय का 'नदी के द्वीप' तथा 'यह दीप अकेला' आदि। अज्ञेय के बहुत-से प्रतीक प्राय: जुगुप्सा-भाव को ही जगाते हैं।

जैसे- यह कली झुटपुट अंधरे में पली थी देहात की गली में भोली-भाती नगर के राजपथ दिपते प्रकाश में गई छली।

(घ) लय, तुक और छंद

लय, तुक और छंद कुल मिलाकर एक ही वस्तु हैं। क्योंकि एक की सत्तर दूसरे पर निर्भर करती हैं। नए कवियों ने छंद के बंधन को अस्वीकार करते हुए शब्द, पंक्ति, लय आदि को स्वच्छंद रूप से आगे बढने दिया। परिणामस्वरूप, अनेक कविताएं गद्य सी बन गई। छंद-बंधन का विरोध निराला ने भी किया था, परंतु वर्ण और मात्रा के बंधनों को भंग करते हुए भी उनकी मुक्त छंद में लिखी कविताओं में संगीत और लय का पूर्ण समावेश रहा है। नई कविता के अधिकांश कवि तो इस विशेषता का निर्वाह करने में असमर्थ रहे, पर मँते हुए समर्थ कवियों की रचनाओं में संगीत और लय का मनोरम सौंदर्य दर्शनीय है। गीतों में तो यह

विशेषता अधिक शक्ति और सौंदर्य के साथ उभरी है। अनेग कवियों ने लोकगीतों के आधार पर बडे सुंदर-सरस गीत रचे। फिर भी, नई कविता में छंद का कोई विशिष्ट स्वरूप नहीं उभर सका है।

(ङ) अलंकार

नई कविता में प्राय: सादृश्यमूलक अलंकारों के स्थान पर बृहत्तर अर्थों को प्रतिध्वनित करनेवाले स्वत: स्फूर्त प्रतीकों की भारमार दिखाई देती है, जिन में प्रत्यग्र प्रज्ञा के साथ उनकी नित्य-नूतन प्रयोग की प्रवृत्ति अभिव्यक्त हुई है। नए कवियों में नए नए शब्द चित्रों को अंकित करते हुए कथ्य को सजा-संवारकर प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति अधिक प्रचलित है।

निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि नई कविता वैयक्तिक, सामाजिक और परिवेशगत बदलावों को आत्मसात करते हुए वस्तु और शिल्प में नयेपन लाते हुए जीवन की जटिलताओं को सूक्ष्ममय दृष्टि से अभिव्यक्ति देती है।

सचिव
देशीय हिंदी अकादमी
पेरूंगुषी, तिरूवनन्तपुरम-695305

संसदीय प्रणाली के कार्य के लिए न केवल मजबूत विपक्ष जरूरी है, न केवल समझ और विचारों की सशक्त अभिव्यक्ति जरूरी है बल्कि विपक्ष और सरकार के बीच सहयोग का एक अत्यावश्यक आधार भी जरूरी है। यह सहयोग किसी विशिष्ट मामले के संबंध में ही नहीं होता बल्कि इस पध्दति का पूरा आधार ही संसद के कार्य को आखिरकार आगे बढ़ाने के लिए एक सहयोगात्मक आधार है और इसे पूरा करने में हम जितने सफल होते हैं, उतने ही संसदीय कार्य की बुनियादों को मजबूती के साथ स्थापित करने में सफल होते हैं।

जवाहरलाल नेहरू

पत्र व्यवहार का पता:

'संसदीय सरिता'

संसदीय कार्य मंत्रालय
87, संसद भवन,
नई दिल्ली

Website : www.mpa.gov.in